

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/143173/BHR/BAHRAICH/683/CFO

दिनांक: 16-01-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GLOBAL SCHOOL OF LEARNING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **0,VILL JAGDISHPUR SHOKHA,BAHRAICH** तहसील - **BAHRAICH**, प्लॉट एरिया **8900 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3271** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
GSL	2	0	7.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GLOBAL SCHOOL OF LEARNING** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **20-01-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BHAVNA SINGH principalgs1@gmail.com 9532009722** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-01-2025** से **21-01-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **GLOBAL SCHOOL OF LEARNING** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GLOBAL SCHOOL OF LEARNING** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : under the following provision, NOC is issued as per inspection report of fsso.

1. Inspection is done by fsso bahraich and noc is for ground + one floor only.
2. Owner shall maintain fire fighting system always in working condition and shall comply section 23 and 26 of up fire and emergency act 2022.
3. In case the building is to undergo structural / occupancy changes, approval from the Fire Department will be necessary.
4. Occupier/owner shall furnish a certificate in the months of January and July each year regarding the maintenance of fire prevention and life safety measures in a building.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Goud Vishal Ramanuj)

[0B37AB00C0C96025F272B267D38894285F4A0374]

21-01-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-01-2025
स्थान : BAHRAICH